



Indira Gandhi Krishi Vishwavidyalaya
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय



KRISHI VIGYAN KENDRA, GARIYABAND (C.G.) 493 889
कृषि विज्ञान केन्द्र, गरियाबंद (छ.ग.) ४९३ ८८९

Contacts : +91-9403673674, Website : www.kvkgariyaband.org, E-mail : kvkgariaband@gmail.com

क्रमांक/स्था./के.वी.के./संविदा/2020/1345

गरियाबंद, दिनांक 07.03.2020

संविदा नियुक्ति हेतु विज्ञापन

इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र, गरियाबंद में निम्नलिखित रिक्त पदों पर निश्चित वेतन में संविदा के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र, गरियाबंद (छ.ग.) 493889 को सम्बोधित साधारण डाक/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से दिनांक 04.04.2020 सायंकाल 5.00 बजे तक छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से विस्तृत विज्ञापन में दिये गये निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक द्वारा बिलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर कृषि विज्ञान केन्द्र, गरियाबंद जिम्मेदार नहीं होगा। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में सीधे/खुला अथवा कोरियर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	संविदा का निश्चित वेतन (रुपये प्रति माह)	श्रेणीवार आरक्षित पदों की संख्या				कुल
			अनारक्षित	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	
01	सहायक ग्रेड-I	20,900/-	01	0	0	0	01
02	सहायक ग्रेड-II	18,420/-	01	0	0	0	01
03	भृत्य एवं समकक्ष	11,360/-	02	0	0	0	02

आवेदन की अंतिम तिथि:- 04.04.2020

आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप एवं विज्ञापन की विस्तृत जानकारी, जिसमें विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक व अन्य अर्हताएं, आयु चयन की प्रक्रिया इत्यादि कार्यालय के सूचना पटल व विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in देखी जा सकती है।

शैक्षणिक अर्हता :- "इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनियम, 2016" में उल्लेखित अनुसार होगी ।

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक अर्हता
01	सहायक ग्रेड-I	सहायक ग्रेड-I, सहायक ग्रेड- II में केन्द्र शासन/राज्य शासन/ विश्वविद्यालय/राज्य शासन के मण्डल/निगम/आयोग/प्रधिकरण या किसी शासकीय संस्थान में अनुभव
02	सहायक ग्रेड-II	सहायक ग्रेड-II, सहायक ग्रेड- III में केन्द्र शासन/राज्य शासन/ विश्वविद्यालय/राज्य शासन के मण्डल/निगम/आयोग/प्रधिकरण या किसी शासकीय संस्थान में अनुभव
03	भृत्य एवं समकक्ष	पांचवी उत्तीर्ण

नोट:- 1.सहायक ग्रेड-I, सहायक ग्रेड-II के पदों पर सुगमता हेतु केन्द्र शासन/राज्य शासन/ विश्वविद्यालय/राज्य शासन के मण्डल/निगम/आयोग/प्राधिकरण से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर संविदा नियुक्ति की जा सकेगी। इस हेतु उच्च/समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मचारी पात्र होंगे।

2. सेवानिवृत्त कर्मचारी ना मिलने पर इन पदों पर चयन के माध्यम से संविदा नियुक्ति हेतु आवश्यक न्यूनतम अर्हता निम्नानुसार है:-

- 1.किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक।
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा पमाण पत्र।
3. कम्प्यूटर के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी।

नियम एवं शर्तें :-

1. आवेदन पत्र के साथ स्व सत्यापित सभी प्रमाण पत्र एवं नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न करें ।
2. उपरोक्त सभी पदों को भरने/न भरने का तथा रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाने/घटाने का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय को होगा तथा किसी भी प्रकार से विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।
3. भर्ती की प्रक्रिया इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय गैर शिक्षकीय सेवा भर्ती विनियम 2016 में विहित प्रावधान अनुसार की जावेगी ।
4. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अ.ज.जा./अ.जा. एवं अ.पि.वर्ग हेतु आरक्षण) नियम 2012 के अनुसार होगा ।
5. छत्तीसगढ़ की स्थानीय महिला उम्मीदवार हेतु प्रत्येक संवर्ग में 30 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध होगा ।
6. निःशक्तजनों हेतु 06 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार उपलब्ध रहेगा ।
7. अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है । (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
8. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है । प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा । आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की वैधता की जाँच करा सकता है ।
9. आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 04.04.2020 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए । जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, महिला उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छत्तीसगढ़ शासन के नियमों व शर्तों के अनुसार रहेगी ।
11. इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर पर कार्यरत कर्मियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट प्राप्त होगी ।
12. सहायक ग्रेड-I, सहायक ग्रेड-II एवं सहायक ग्रेड-III के पदों पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियुक्ति 70 वर्ष की आयु तक दी जा सकेगी ।
13. शासकीय/अर्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र नियोक्ता के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना होगा । आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति प्राप्त होने की स्थिति में साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे ।
14. अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा ।
15. अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रु. 300/- एवं अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को रु. 200/- का डिमांड ड्राफ्ट वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र गरियाबंद (छ.ग.) के नाम से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा । किसी भी स्थिति में राशि वापस नहीं की जावेगी ।
16. अपूर्ण, अस्पष्ट, त्रुटिपूर्ण एवं विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे । तथा इस संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी ।
17. संविदा नियुक्ति प्रथमतः 01 वर्ष अथवा परियोजना अवधि अथवा पद पर नियमित नियुक्ति (चयन/पदोन्नति द्वारा पदस्थापना) जो भी कम हो के लिए की जावेगी । पद नियमित रूप से न भरने की स्थिति में विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति से संविदा नियुक्ति 01-01 वर्ष कर 01 बार बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए पृथक से नियुक्ति प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होगी । किसी भी स्थिति में संविदा नियुक्ति 02 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जावेगी । (02 वर्ष की संविदा नियुक्ति पूर्ण होने पर पुनः नियुक्ति प्रक्रिया किया जाना आवश्यक होगा) ।
18. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी । किन्तु अन्य किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा । आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिए जावेंगे ।

19. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितकरण के लिए किसी प्रकार का दावा नहीं करेगा ना ही उस पद के विरुद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता/छूट दी जावेगी।
20. संविदा पर निश्चित वेतन के अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। किन्तु संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति को उस पद हेतु निर्धारित टी.ए./डी.ए. प्राप्त होगा। यदि राज्य शासन/राज्य शासन के मण्डल निगम/आयोग/विश्वविद्यालय/प्राधिकरण आदि से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है तो उन्हें छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार वेतन का भुगतान किया जावेगा। संविदा पर कार्यरत कर्मचारी का वेतन परियोजना/कृषि विज्ञान केन्द्र में रिक्त नियमित पद/तदर्थ पद के विरुद्ध आहरित होगा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संविदा वेतन एवं टी.ए./डी.ए. के समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन उसी तिथि से विश्वविद्यालय में भी लागू होंगे।
21. अभ्यर्थी का कार्य संतोषप्रद न होने पर एक महीना का नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक महीने की नोटिस देकर सेवा से त्याग-पत्र दे सकता है।
22. चयन हेतु साक्षात्कार का आयोजन नहीं होगा, भर्ती मेरिट के आधार पर की जावेगी।
23. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
24. कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष के साथ विवाह किया हो जो पूर्व से विवाहित हो और उसकी पत्नी जीवित हो, विश्वविद्यालय की सेवा के लिये अर्ह नहीं माने जावेंगे।
25. ऐसे अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26.01.2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
26. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी। साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
27. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम एवं वेतनमान स्पष्ट रूप से लिखें।
28. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखा लिफाफा 5 रु. का डाक टिकट सहित अनिवार्य रूप से संलग्न करें।
29. पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दिनांक **15.04.2020** को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in पर अपलोड की जावेगी। जिन अभ्यर्थियों को अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत करना होगा, वे सूची प्रसारित होने के 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।
30. विज्ञापन, आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य समस्त संबंधित जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.igau.edu.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र विश्वविद्यालय के वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।


वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केन्द्र
गरियाबंद (छ.ग.)493889

vkonu i = dk ik: i

Lo i  ekf.kr gky
dh i kl i kVZ
I kbZt dh QkVks
pLi k dja A

i fr]

foKki u d ekd , oa fnukd % -----

vkofnr in dk uke , oa% -----

I fonk dk fuf'pr oru %i ; s i fr ekg% % -----

01- vkond dk ijk uke %fglnh e  % -----

%vxsth dsi Vy yVj e  % -----

02- fi rk@i frk dk uke % -----

03- fyx %efgyk@iq "k% % -----

04- obkfgd Lrj , oa fookg fnukd -----

%fookfgr@vfookfgr@fo/kok@fo/kj% -----

05- i fr@i Ruh dk uke -----

06- fookfgr gkus ij tlfors cPpk dh I  ; k ----- tle fnukd -----

07- 26-01-2001 dks ; k ml ds ds i" pkr~tle ----- tle fnukd -----

fy; s cPpk dh I  ; k

08- ; fn fu%" kDrrk g rks fu%" kDrrk dk 1- nf"Vckf/kr 2- Jo.k ckf/kr 3- vfLFk ckf/kr

i dklj

09- fu%" kDrrk dk i fr" kr -----

10- tkfr -----

11- I oxZ %l kekl; @vfi oxZ@v-tk@v-t-tk% -----

%vkjif{kr oxZ I {ke vf/kdkjh }kj k tkjh

i  k.k i = dh I R; kfir Nk; ki fr I  yXu

dj%

12- N-x- ey fuokl h i  k.k i = gkl ughh %; fn gkl rks I  yXu dj% -----

13- tle frfFk %v dks e  -----

%" kCnka e  -----

14- fnukd ----- dks vk; q ----- o"kz ----- ekg ----- fnu

15- LFkkbZ i rk -----

16- i = 0; ogkj dk or ku i rk %ekckby -----

d ekd , oa b&ey vkbZMh- I fgr% -----

&&2&&

17- भकस{kf.kd ; kX; rk %&

dž	mRrh.kz i jh{k{k@fMxh	ckM@fo0fo0 dk uke	mRrh.kz djus dk o"kz	fo"k;	i klr ifr" kr@ xM	Js kh

18- vu{ko

dž	dk; kŷ; dk uke	i nuke , oa dk; L dh i dfr	vof/k

19- oržku ea dgħa dk; j r gk rks dk; kŷ;
dk uke , oa i nuke %dk; kŷ; i æ{k dk
vuki fr i æ.k k i = l ŷXu djž

20 fo" ofo | ky; Lrj ij , u-l h-l h-@, u-
, l -, l -] [ky&dln , oa l kldfrd
xfrfof/k; kll %; fn gka rks i æ.k k i =
l ŷXu djž

21- vU; ; kX; rk %&

22- l ŷXu i æ.k k i =ka dh l ph%&

01-

02-

03-

04-

05-

06-

Vhi %& tkfr i æ.k k i =, मूल निवासी, जन्मतिथि, भौक्षणिक योग्यता, प्र" k{k.k] vu{ko rFkk vU; i æ.k k i =ka dh Lo
vfHki ækf.kr Nk; ki fr l ŷXu djž A

vkond dk uke vŷ glrk{kj

?kks'k. kk i =

eš ?kks'k. kk djrk@djrñ gllfd mi jkDr l Hkh tkudkjñ ejs food vuq kj i w{k-% l R; , oa l gh g\$A buea l s
dkbz Hkh tkudkjñ vl R; ik; s tkus ij ejk vkonu i = fujLr fd; k tk l dxk rFkk ejs fo: } dk; bkgh dh tk
l dxh A bu i fjLFRfr; ka ea fu; qDrdrkz vf/kdkjñ dks fcuk dkj .k crk; s ejk p; u@fu; qDr dks fujLr djus dk
vf/kdkj gtxk , oa ml dk fu.kz ep-s ekU; gtxk A

LFkku %

fnuka %

vkond dk uke vŷ glrk{kj